



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246598
CG-DL-E-16062023-246598

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2547]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945

No. 2547]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

का.आ. 2660(अ).— केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कारपोरेट देनदार ने निम्नलिखित में से कोई संव्यवहार, व्यवस्था या करार किए हों, अर्थात:-

- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत की गई उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं, राजस्व हिस्सेदारी संविदाएं, समन्वेषण लाइसेंस और खनन पट्टे; और
- खंड (i) में निर्दिष्ट संव्यवहारों, व्यवस्थाओं या करारों से संबद्ध या आनुषंगिक प्रचालन करार सहित, कोई संव्यवहार, व्यवस्था या करार।

[फा. सं. इंसोल-30/1/2023- इंसोल्वेंसी-एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2023

S.O. 2660(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby notifies that the provisions of sub-section (1) of section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), shall not apply where the corporate debtor has entered into any of the following transactions, arrangements or agreements, namely: -

- (i) the Production Sharing Contracts, Revenue Sharing Contracts, Exploration Licenses and Mining Leases made under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and rules made thereunder; and
- (ii) any transactions, arrangements or agreements, including Joint Operating Agreement, connected or ancillary to the transactions, arrangements or agreements referred to in clause (i).

[F. No. Insol-30/1/2023-Insolvency-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.